क्रम संख्या-213
(क-10)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी-11/लाई0-न्यूज पेपर /91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
लखनऊ, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2006
भाद्रपद 23, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग-2
संख्या 1066/सात न्याय-2-06-732-86
लखनऊ, 14 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

प० आ०-3126

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 21 के अधीन और इस निमित्त समस्त समर्थकारीउपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कुटुम्ब न्यायालय के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते एवं विहित करते हैं

उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय (न्यायालय) नियमावली, 2006

अध्याय-एक

प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1. -(एक) यह नियमावली कुटुम्ब न्यायालय (न्यायालय) नियमावली 2006 कही जायेगी।

(दो) यह नियमावली ऐसे दिनांक को प्रयुक्त होगी जैसा उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त प्रकाशित किया जाय।

(तीन) यह नियमावली कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कुटुम्ब न्यायालय पर लागू होगी।

अध्याय-दो

परिभाषाएं 2-जब तब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

क) अधिनियम' का तात्पर्य कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 से है।
(ख) 'केन्द्र' का तात्पर्य किसी परामर्श केन्द्र से है और उसके अन्तर्गत ऐसा कार्यालय, संगठन/संस्था भी है जिसका परामर्शदाता प्रतिनिधित्व करे।
(ग) न्यायालय' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 33 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालय से है।
(घ) 'उच्च न्यायालय' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है।
(ड.) 'याचिका के अन्तर्गत, जब तक कि विषयवस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के ध्याय-नौ के अधीन कोई आवेदन-पत्र भी होगा।
(च) 'मुख्य परामर्शदाता' का तात्पर्य उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मुख्य परामर्शदाता से है और जब ऐसे परामर्शदाता की नियुक्ति न हुई हो तो उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, परामर्शदाता या परामर्शदातागण भी होंगे।

अध्याय-तीन

न्यायालय की बैठक 3-कार्य समय, बैठक का स्थान-

(एक) न्यायालय का कार्यालय प्रतिदिन, अवकाश दिवस को छोड़कर पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक कार्यालय कार्य के संव्यवहार के लिये खुला रहेगा।
(दो) न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के सभी कार्य दिवसों को न्यायालय में सामान्यतः पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 बजे तक, अपरान्ह 1.30 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे के मध्य अल्पावकाश सहित बैठेंगे।
(तीन) कोई न्यायालय अवकाश दिवसों को और सामान्य कार्य समय के अतिरिक्त समय पर बैठक करेंगे, यदि न्यायाधीश पक्षकारों को एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिनके सम्बन्ध में न्यायाधीश विचार करना आवश्यक समझे, पूर्व सूचना देते हुए मामले की परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक समझे।
(चार) न्यायालय ऐसे स्थान पर जहाँ पर वह स्थित है या ऐसे स्थान पर जहाँ उच्च न्यायालय उक्त सम्बन्ध में आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे अपनी बैठक करेगा।
(पाँच) न्यायालय अपनी बैठक खुले स्थान पर या बन्द कमरे में जैसा उसके द्वारा प्रत्येक दशा में अवधारित किया जाय, बैठक करेगा, किन्तु यदि कोई पक्षकार ऐसा चाहे, तो बन्द कमरे में कार्यवाही करेगा।
(छ) न्यायालय का कोई कार्य अपने चयन के किसी स्थान पर या किसी अवकाश दिवस को या सामान्य कार्य समय के अतिरिक्त ऐसे समय पर जब ऐसी बैठक के बारे में पक्षकारों को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाय अपनी बैठक करने या उसे जारी रखने के कारण अविस्थिमान्य नहीं होगा।

अध्याय-चार

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना

4-न्यायालय के समक्ष संस्थित समस्त कार्यवाहियां प्रपत्र सख्या-1 में याचिका के रूप में होगी जो याची द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होंगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ के अधीन आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपलब्ध लागू होंगे।

5-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ के अधीन समस्त आवेदन-पत्र इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र संख्या-2 के अनुसार आवेदन-पत्र के रूप में होंगे जो याची द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित होंगे। अन्तरित राहत के लिये पृथक रूप से अनुरोध नहीं किया जाएगा। इसे आवेदन पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। आवेदन-पत्र किसी भी अनुमन्य भाषा में हो सकता है।

6-याचिका को किसी विधि के अधीन अनुज्ञा के अनुसार न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित विधियों के उपबन्ध भी सम्मिलित है-

(एक) दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सख्या 2 सन् 1974) का अध्याय-नौ।

(दो) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (संख्या 25 सन् 1955)

(तीन) हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (संख्या 78 सन् 1956) के अधीन भरण-पोषण।

(चार) हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (संख्या 32 सन् 1956) के अधीन किसी अवयस्क को व्यक्तियों की संरक्षकता या अभिरक्षा या पहुँच।

(पाँच) वैवाहित सम्बन्धों से उद्भूत परिस्थितियों में व्यादेश हेतु किसी आदेश के लिये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (संख्या 28 सन् 1961)

(छ) हिन्दू विवाह (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1960 (संख्या 19 सन् 1960)।

(सात) मुस्लिमों पर लागू स्वीय विधि, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित है -

(क) मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (संख्या 26 सन् 1937

(ख) मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 (संख्या 8 सन् 1939)

(ग) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संख्या 25 सन् 1986)

(आठ) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 (संख्या 3 सन् 1936) जिसे उक्त अधिनियम की धारा 18 और 20 के अधीन गठित पारसी जिला दाम्पत्य न्यायालय के समक्ष संस्थित किया या लाया जा सकता है।

(नौ) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम (संख्या 15 सन् 1872)

(दस) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1945

(ग्यारह) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (संख्या 43 सन् 1954)

(बारह) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (संख्या 29 सन् 1929)

(तेरह) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (संख्या 7 सन् 1909)

(चौदह) आर्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1937 (संख्या 19 सन्

1937)
(पन्द्रह) विदेशीय विवाह अधिनियम् 1969 (संख्या 33 सन् 1969)
(सोलह) पार्ट-बी स्टेट्स मैरिएजेज वैलिडेटिंग ऐक्ट, 1952 (संख्या 1 सन् 1952) से सम्बन्धित वाद एवं कार्यवाहियां।
(सत्रह) संरक्षक और प्रतिपास्य अधिनियम, 1890 (संख्या 8 सन् 1890)

7-कोई याचिका दो प्रतियों सहित दाखिल की जाएगी जो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होंगी, साथ में बहुत सी प्रतियाँ होंगी, प्रत्यर्थी को प्रेषित की जाएंगी। ऐसी याचिका की एक प्रति न्यायालय के पदाभिहित अधिकारी द्वारा मुख्य परामर्शदाता को तत्काल अग्रेषित की जाएगी। पक्षकारों के फोटोग्राफ याचिका की प्रथम दो प्रतियों और प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर/कथन पर चस्पा किए जाएंगे।

अध्याय-पांच

समन की तामील

8-पक्षकार या पक्षकार के लिए उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि के नाम और पते का विवरण प्रत्येक नोटिस, समन, साक्षी समन, आवेदन-पत्र, वारन्ट और ऐसे पक्षकार या प्रतिनिधि की प्रेरणा से जारी न्यायालय की प्रत्येक प्रक्रिया में किया जाएगा।

9-सभी नोटिस, समन, नियम, आदेश, वारंट और आज्ञापक प्रक्रिया प्रपत्र संख्या तीन में होंगी जो न्यायालय की मुहर से मुहरबन्द होगी और न्यायालय के पदाभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगी। उसके साथ संलग्न याचिका और प्रदर्श की एक प्रति नोटिस के साथ भेजी जायेगी।

10-सभी नोटिस व समन, याचिका दायर करने के दिनाँक के पश्चात्, यदि प्रत्यर्थी न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता हो तो तीन सप्ताह में और यदि प्रत्यर्थी उक्त सीमा के बाहर निवास करता हो तो याचिका दायर करने के दिनांक के पश्चात पाँच सप्ताह में लौटायी जायेगी।

11-दण्ड प्रक्रिया संहिता, जहाँ उक्त संहिता के उपबन्ध लागू होंगे, के अध्याय-नौ के अधीन प्रक्रिया के सिवाय व उसे छोड़कर, नोटिश व समन सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित रीति से तामील की जाएंगी।

12-न्यायालय द्वारा तामील की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, आवेदक प्रत्यर्थी पर प्रत्यर्थी की प्रति के साथ कोर्ट की नोटिसों और समन, याचिका और प्रदर्श की प्रति के साथ कोर्ट की नोटिसों और समन व्यक्तिगत रूप से या तामील की मान्य किए जाने योग्य रीति से, जिसके अन्तर्गत पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, फैक्स, ई-मेल आदि भी है, तामील करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा और प्रत्यर्थी पर तामील शपथ-पत्र फाईल करेगा।

13-नोटिस व समन की प्रतिस्थापित तामील के लिए आवेदन-पत्र जिसके समर्थन में शपथ-पत्र भी होगा, जहाँ प्रत्यर्थी समन स्वीकार करने से इंकार कर चुका हो, न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय ऐसे दैनिक समाचार पत्र में, जिसका उस स्थान में व्यापक परिचालन हो, जिसमें प्रत्यर्थी वास्तविक व ऐच्छिक रूप से निवास कर चुकने के रूप में जाना जाता हो, कारबार किया हो या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य किया हो, विज्ञापन द्वारा तामील के लिए निर्देश दे सकता है। न्यायालय व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्रों की एक सूची रखेगा और आदेश में प्रतिस्थापित तामील के लिए, मामले की अपेक्षानुसार प्रत्यर्थी के हाजिर होने के लिए समय निर्धारित करते हुए समाचार-पत्र के नाम का उल्लेख करेगा। आवेदक ऐसे समन में सुनवाई के लिए नियत दिनांक से एक सप्ताह पूर्व शपथ-पत्र फाइल करेगा जिसके साथ उस समाचार-पत्र की प्रति संलग्न होगी जिसमें समन प्रकाशित किया गया था।

14-कोई प्रत्यर्थी जो याचिका के प्रति के लिए इस आधार पर लिखित रूप से मांग करता है कि उसे याचिका के प्रति प्राप्त नहीं हुयी है या यह कि उसे सम्पूर्ण प्रति प्राप्त नहीं हुई है. उसे

आवेदक द्वारा प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण संलग्नकों के साथ सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
15-यदि किसी महिला प्रतिवादी के विरूद्ध सामान्य तामील के पश्चात् कोई व्यक्ति हाजिर न हो और कार्यवाही एक तरफा की जाने वाली हो तो न्यायालय एक बार पुनः अतिरिक्त तामील पर विचार कर सकता है।

अध्याय-छ:

न्यायालय में कार्यवाहियों

16-समन वापस किये जाने वाले दिनांक को, याचिका को न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष निदेश के लिए, जिसे इस कार्य के लिए न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सौंपा जा सकता है, रखा जायेगा।

17-निदेश देते समय न्यायाधीश मुख्य परामर्शदाता और ऐसे अन्य परामर्शदाता जो न्यायालय में उपस्थित हों, के परामर्श से पक्षकारों को परामर्श के प्रयोजन के लिए किसी निर्दिष्ट परामर्शदाता से सम्पर्क करने के लिए निदेश दे सकता है।

18-ऐसे परामर्शदाता का चयन पक्षकारों की सुविधा, उनकी विशेष अपेक्षाओं और उस क्षेत्र जिसमें वह इकाई स्थित हो व जिससे परामर्शदाता सम्बद्ध हो, को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

19-परामर्शदाता की शक्ति, कृत्य और उनके कर्तव्यों के निष्पादन में उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा ऐसी होगी जैसा उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 में विहित की गयी है।

20-परामर्शदाता द्वारा एक ज्ञापन दाखिल करने पर, जिसमें अपने समक्ष की गयी कार्यवाही के परिणाम का उल्लेख किया जाएगा, परामर्शदाता के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। न्यायालय तत्पश्चात् याचिका की सुनवाई का दिनांक निर्धारित करने के लिए पक्षकारों की एक बैठक बुलाएगा। पक्षकारों को ऐसी बैठक की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी।

21-इस प्रकार निर्धारित की गयी बैठक में न्यायालय दोनों पक्षकारों से परामर्श करने के पश्चात् सुनवाई का दिनांक निर्धारित करेगा।

22-न्यायालय पक्षकारों से न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिए जाने वाले अनुमानित समय के बारे में भी सुनिश्चित करेगा।

23-न्यायालय द्वारा बुलाई गयी बैठक में किसी पक्षकार के अनुपस्थित रहने की दशा में न्यायालय सुनवाई के लिए ऐसा समय निर्धारित करेगा जैसा वह उचित समझे। न्यायालय बैठक के दिनांक यो कम से कम चार सप्ताह बाद कोई दिनांक निर्धारित करेगा।

24-न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित दिनांक को, याचिका को न्यायालय के पटल पर सुनवाई व अन्तिम निपटारे के लिए रखा जाएगा। पक्षकारों को आवंटित किए गए समय को पटल पर भी इंगित किया जाएगा।

25-न्यायालय दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में निर्धारित किए गये दिनांक में सामान्यतः परिवर्तन नहीं करेगा।

26-इस प्रकार निर्धारित याचिका न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे स्थगन को न्यायोचित ठहराने के लिए आपवादिक परिस्थितियाँ न हो और जब तक कि वे इस प्रकार की न हो कि जब सुनवाई का दिनांक निर्धारित किया गया था तब उनके सम्बन्ध में पूर्वकल्पना नहीं की जा सकी थी। न्यायालय किसी मामले के स्थगन के लिए उसके कारणों को अभिलिखित

करेगा।
27-न्यायालय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अभ्यावादित करने वाले पक्षकारों को अनुज्ञा प्रदान करेगा। यदि मामले में विधि सम्बन्धी जटिल प्रश्न अंर्तगस्त हों या यदि न्यायालय का यह विचार हो कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य कारण से अपने मामले का संचालन पर्याप्त रूप से करने की स्थिति में नहीं होगा तो ऐसी अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। अनुज्ञा प्रदान करने के कारण को आदेश में अभिलिखित किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गयी अनुज्ञा कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रतिसंहत की जा सकती है, यदि न्यायालय इसे उचित और आवश्यक समझे।

28-न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा अभ्यावेदन करने के लिए आवेदन-पत्र ऐसे पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व नोटिस देने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मामले को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा।
29-न्यायालय उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम-24 के अनुसार पूर्णतया विधिक विवाधकों पर नामिका अधिवक्ता के रूप में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सकता है या उसकी सहायता माँग सकता है।
30-न्यायालय उन तथ्यों के केवल सार को यदि न्यायालय ऐसा करने की अनुज्ञा प्रदान करे अभिलिखित कर सकता है जो साक्षी ने न्यायालय द्वारा अपनी परीक्षा में या प्रत्यर्थी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अभिसाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है और यह, जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 15 में विहित किया गया है, साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये तथ्यों के सार के केवल ज्ञापन को तैयार करेगा। ज्ञापन को साक्षी को पढ़कर सुनाया और स्पष्ट किया जाएगा, उसे साक्षी और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह अभिलेख का एक भाग बन जाएगा। न्यायालय अन्तरिम राहत के मामले में शपथ-पत्र पर, यदि कोई हो. साध्य के रूप में ले सकता है, जो न्यायालय के अभिलेख का भाग भी बन जाएगा।
31-न्यायालय पक्षकारों अपने समक्ष की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित निर्णय की निःशुल्क प्रति, जो सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित होगी, उपलब्ध कराएगा।
32-मामले के परामर्शदाता के समक्ष लम्बित रहने पर भी एक अन्तरिम आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय परामर्शदाता को अन्तरिम आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिम रिपोर्ट पर भी लागू होगी।
33-किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को ऐसे पक्षकार के व्यय पर टेप-रिकार्ड किया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या पुनरीक्षण की दशा में, कोई पक्षकार टेप-रिकार्ड किये गये साक्ष्य के अनुलिपिकरण के लिए आवेदन कर सकता है जिसे सम्बन्धित पक्षकार को विहित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय-सात

समझौता

34-प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालय निम्नलिखित की पृथक सूचियां अनुरक्षित रखेगा-
(क) संस्थाओं या संगठनों के प्रतिनिधियों के नाम और पता सहित समाज कल्याण में लगी हुई ऐसी संस्थाएं और संगठन,
(ख) अपने पता सहित कुटुम्ब के कल्याण के उन्नयन में व्यवसायिक रूप में लगे हुए व्यक्ति
(ग) अपने पता सहित समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति। जहां तक अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट संस्था संगठन या व्यक्तियों द्वारा किये गये या किये जाने वाले प्रयासों का सम्बन्ध है. कुटुम्ब न्यायालय रिपोर्ट की मांग कर सकता है

परन्तु यह कि जहाँ सौहार्दपूर्ण समझौतों के प्रयास जारी हों या आस्थगित हों, वहां कुटुम्ब न्यायालय अपने समक्ष संस्था, संगठन वा व्यक्ति में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

अध्याय-आठ

आदेशों का निष्पादन

35-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ के अधीन याचिका पर पारित आदेशों को छोडकर समस्त मामलों में पारित आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता में आदेशों के निष्पादन के उपबंध, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ के अधीन पारित आदेशों के प्रति लागू होंगे।

36-भरण-पोषण भत्ता के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ के अधीन पारित किसी आदेश का निष्पादन, न्यायालय द्वारा, उक्त संहिता की धारा 125 की उपधारा (3) में उपबंधित वसूली की पद्धति के अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 और आदेश-21 में यथाउपबंधित वेतन की कुर्की करके किया जा सकता है।

37-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-सात में धारा 125/126 के अधीन कोई आवेदन ऐसे स्थान पर दाखिल किया जा सकता है जहाँ यथास्थिति पत्नी, सन्तान, माता-पिता निवास करते हो।

38-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-नौ में यथास्थिति धारा 125 या 126 के अधीन अन्तरिम भरण-पोषण के लिए किसी आवेदन का लम्बित रहना, संहिता की धारा 125 या 126 के अधीन मुख्य कार्यवाहियों को स्थगित या निलम्बित रखने का आधार नहीं होगा।

39-किसी व्यतिक्रमित धनराशि की वसूली के लिए लम्बित निष्पादन संबंधी कार्यवाही में कुटुम्ब न्यायालय नया मामला पंजीकृत नहीं करेंगे। लम्बित निष्पादन सम्बन्धी मामले में भरण पोषण की व्यतिक्रमित धनराशि की वसूली के लिए आवेदन उक्त धनराशि की वसूली के लिए पर्याप्त होगा।

अध्याय-नौ

संरक्षण

40-आवेदनों से भिन्न संरक्षण के लिए समस्त याचिकाएं, जिन पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता है, कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाएंगी।

41-संरक्षण के लिए प्रत्येक याचिका, जब वह उक्त सन्तान के नैसर्गिक माता-पिता या नैसर्गिक संरक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गयी हो, के साथ ऐसे संरक्षण की मांग करने वाले व्यक्ति और उसके पति या उसकी पत्नी, यदि कोई हो. की ऐसी गृह अध्ययन रिपोर्ट संलग्न होगी जो किसी अनुमोदित कुटुम्ब कल्याण अभिकरण या किसी सम्यक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गयी हो ऐसी अभिकरणों और/या व्यक्तियों की सूची उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रधान न्यायाधीश और मुख्य परामर्शदाता द्वारा तैयार की जाएगी।

42-जब संरक्षण के लिए कोई याचिका किसी विदेशी या अप्रवासी भारतीय द्वारा दाखिल की जाय तो न्यायालय देश की मान्यता प्राप्त कुटुम्ब कल्याण अभिकरण, जहाँ के निवास करते हों, द्वारा तैयार की गयी किसी गृह अध्ययन रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है।

43-संरक्षण हेतु प्रत्येक याचिका में निम्नलिखित बाते संलग्न होगी-

(एक) समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से दो सिफारिशें।

(दो) याची की वार्षिक आय और उसकी वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित वेतन प्रमाण-पत्र या विवरण।

(तीन) याची और उसका / उसकी पति या पत्नी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा याची और/या पति या पत्नी से सम्बन्धित चिकित्सा रिपोर्ट भी।

(चार) संरक्षण में लिये जाने हेतु प्रस्तावित सन्तान का ऐसा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और याची द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(पाँच) सन्तान के छायाचित्र सहित संरक्षण में लिए जाने हेतु प्रस्तावित सन्तान की बाल अध्ययन रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट परिशिष्ट में विहित प्रपत्र संख्या 3 में होगी, जब सन्तान संस्थित किया गया/की गयी हो या न्यायालय द्वारा सुपुर्द किया गया/की गयी हो। रिपोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी।

(छ) सन्तान को संरक्षण में लेने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्तावित संरक्षक और उसके / उसकी पति या पत्नी, यदि कोई हो, द्वारा घोषणा-पत्र।

44-जब संरक्षण के लिए आवेदन करने वाला कोई याची विदेशी या अप्रवासी भारतीय हो तो याचिका में निम्नलिखित बातें भी संलग्न होंगी-

(एक) देश में प्रवेश करने के लिए सन्तान हेतु उस देश से अनुज्ञा जहाँ याची निवास करता हो।

(दो) जब तक सन्तान का विधिक रूप से दत्तक ग्रहण नहीं किया जाता है तब तक याची के गृह में सन्तान के पर्यवेक्षण के लिए सम्बन्धित देश की किसी मान्यता प्राप्त कुटुम्ब कल्याण अभिकरण द्वारा वचनबंध।

45-संरक्षण के लिए किसी विदेशी या किसी अप्रवासी भारतीय की किसी याचिका को स्वीकार करने में न्यायालय स्वयं का समाधान करेगा कि सन्तान का विधिक दत्तक ग्रहण उस देश के विधि के अधीन किया जा सकता है जहाँ वह निवास करता / करती हो।

46- न्यायालय किसी विदेशी या अप्रवासी भारतीय याची को यह निदेश दे सकता है कि वह किसी कठिनाई की स्थिति में ऐसी धनराशि के लिए बंध-पत्र प्रस्तुत करे जैसा कि न्यायालय किसी सन्तान के भारत में वापसी के लिए उचित समझे।

47-संरक्षण के लिए याचिका स्वीकार करते समय न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह अवस्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए उचित समझे।

48-जब संरक्षण में दिये जाने हेतु प्रस्तावित सन्तान परित्यक्त सन्तान हो तो न्यायालय स्वयं का समाधान करेगा कि नैसर्गिक माता की सहमति सन्तान के परित्याग के समय या सन्तान को किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में दिये जाने के पश्चात् किसी समय ली गयी थी। नैसर्गिक माता या नैसर्गिक पिता के नाम और नैसर्गिक माता-पिता से सहमति-पत्र को भी मुहरबंद आवरण में न्यायालय में रखा जाएगा।

49-जब संरक्षण में रखा जा रहा/जा रही सन्तान किसी परित्यक्त बाल संस्था का परित्यक्त संतान हो तो संस्था ऐसी परिस्थितियों, जिनके अधीन सन्तान परित्यक्त किया गया/की गयी हो. को उपवर्णित करते हुए शपथ-पत्र दाखिल करेगी। शपथ-पत्र में यह भी उपवर्णित होगा कि क्या उक्त संस्था, याची के संरक्षण में दिया जा रहा/दीं जा रही सन्तान के लिए स्वीकार्य है।

50-न्यायालय, स्वविवेक से किसी विदेशी या अप्रवासी भारतीय द्वारा संरक्षण के लिए किसी याचिका को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक न्यायालय का यह समाधान न हो जाय कि कम से कम तीन मास या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि न्यायालय उचित समझे, तक के लिए पर्याप्त प्रयास, सन्तान को किसी भारतीय गृह में रखने के लिए प्रथम बार किये गये हैं। इस प्रयोजन के लिए न्यायालय किसी याची से किसी स्वैच्छिक समन्वय अभिकरण या भारतीय गृहों में सन्तानों को रखने के लिए कार्यरत किसी अन्य समान संगठन द्वारा अनापत्ति-पत्र प्राप्त करने के लिए मांग कर सकता है।

51-जब प्रस्ताविक संरक्षक, सन्तान से सम्बन्धित हो तो न्यायालय उपर्युक्त किसी उपबंध को अभिमुक्त कर सकता है।

52-कोई संरक्षण आदेश, परिशिष्ट में विहित प्रपत्र संख्या 4 में ऐसे उपान्तरणों सहित होगा जैसा कि प्रत्येक मामले में अपेक्षा की जाय। न्यायालय के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सन्तान का छायाचित्र आदेश में संलग्न किया जाएगा।

53-किसी विदेशी या अप्रवासी भारतीय को संरक्षक के रूप में नियुक्त करने वाले प्रत्येक संरक्षण आदेश की प्रति, समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और समाज कल्याण तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को अग्रसारित की जाएगी।

54-न्यायालय को किसी उपयुक्त मामले में संरक्षण हेतु याचिकाओं से सम्बन्धित उपर्युक्त किसी नियम की अपेक्षाओं को अधिव्यक्त करने की शक्ति होगी।

55-किसी सन्तान को संरक्षण में रखे जाने की स्थिति में न्यायालय किसी भी समय, न्यायालय से सम्बद्ध किसी परामर्शदाता को यह निदेश दे सकता है कि वह संन्तान को रखे जाने का पर्यवेक्षण करे और उरा पर न्यायालय को इस रीति से रिपोर्ट या रिपोर्टों को प्रस्तुत करे जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

56-उच्च न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीश को प्राधिकृत एवं सशक्त कर सकता है यदि किसी न्यायालय में एक से अधिक न्यायाधीश हों तो ऐसे

न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश इतने और ऐसे अन्य लिपिकवर्गीय अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि न्याय के प्रशासन और किसी न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त शक्तियों और प्राधिकारों के सम्यक निष्पादन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु अधिकारियों और लिपिकवर्गीय कर्मचारिवर्ग की नियुक्तियां ऐसे किन्हीं नियमों या निर्वन्धनों के अध्यधीन होंगी जैसा कि अधिनियम के अधीन विहित या अधिरोपित किया जाय।

57-न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की सुनवाई की जाएगी और उनका निस्तारण अधिमानतः 3 मास के भीतर यथासम्भव शीघ्र किया जाएगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नियमों या प्रक्रियाओं का कठोरता पूर्वक अनुसरण न किया जाय।

58-न्यायालय के प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण तथा उच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में होंगे।

59-उक्त अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए और न्यायालयों द्वारा संप्रेसित किये जाने वाले संव्यवहार की एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए तथा दुत निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय समय-समय पर न्यायालयों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण कर सकता है और न्यायालयों को निदेश / परिपत्र जारी कर सकता है।

60-कोई न्यायाधीश ऐसे किसी मामले की सुनवाई या विनिश्चय नहीं करेगा जिसका वह पक्षकार हो या जिसमें यह व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो।

61- न्यायालय ऐसे प्रपत्रों और विवरणों का प्रयोग कर सकता है जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो।

62-उच्च न्यायालय, न्यायालयों से ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों तथा ऐसे विवरणों को अनुरक्षित रखने के लिए अपेक्षा कर सकता है जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो।

63-न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही इन नियमों में विहित किसी प्रक्रियागत अपेक्षा का अनुपालन न करने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

आज्ञा से,

राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव ।

प्रपत्र संख्या-1

.....स्थित कुटुम्ब न्यायालय

याचिका संख्या

श्रीमती/श्री.....
पत्नी या पुत्र श्री.....
आयु.....
व्यवसाय.....
वर्तमान पता.....
स्थायी पता/निवास.....
याची/याचीगण.....

और

श्रीमती / श्री.....
पत्नी या पुत्र श्री.....
आयु.....
व्यवसाय.....
वर्तमान पता.....
स्थायी पता/निवास.....

प्रत्यर्थी

धारा..... के अधीन ..... के लिए याचिका
उपरिनानित याची सम्मानपूर्वक निम्नवत् निवेदन करता है:-

1-कि याची..... और प्रत्यर्थी..... विधिक रूप से विवाहित है। उनका विवाह दिनांक..... पर रूढ़ियों के अनुसार अनुष्ठापित हुआ था। विवाह के पश्चात् याची और प्रत्यर्थी दोनों पति और पर रह रहे थे/रहते थे। विवाह के फलस्वरूप दम्पत्ति..... को नामक संतान आयु..... और..... नामक एक अन्य संतान आयु ..... प्राप्त हुये।

2-याची निवेदन करता है (प्रत्यर्थी के विरूद्ध याची की शिकायत का पूरा विवरण दिया जाय).....

.....

.....

3-यह याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुरभिसंधि करके प्रस्तुत नहीं की जा रही है और इन कार्यवाहियों को संस्थित करने में कोई भी अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

4- याची के पास अपनी अजीविका का कोई साधन नहीं है/के सीमित साधन हैं जो उसकी और उसके साथ रह रहे बच्चा/बच्चे की आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए रुपये..... के अन्तरिम भरण-पोषण के लिए प्रार्थना करता है जिसके लिए याची ने प्रत्यर्थी से ऐसा भरण-पोषण देने की अपेक्षा की थी परन्तु याची को प्रत्यर्थी से कोई भी धनराशि नहीं प्राप्त हुयी है।

5-याचिका के लिए वाद हेतुक दिनांक.....को उत्पन्न हुआ जब याची का विवाह प्रत्यर्थी के साथ हुआ था। यह अनेक अवसरों पर भी उत्पन्न हुआ जब प्रत्यर्थी ने.....व्यवहार किया।

6-याची और प्रत्यर्थी दोनों अन्तिम बार साथ-साथ..... प्रत्यर्थी याचिका प्रस्तुत करने के समय रहता है जो इस माननीय न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत है)।

प्रार्थना

7-अतएव याची प्रार्थना करता है कि यह न्यायालय..... को निदेश देते हुए आदेश
पारित करने का कष्ट करें।

स्थानः
दिनांक:

याची

सत्यापन

मैं .....पुत्री/पुत्र श्री..... आयु.....

निवासी..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

माह..... के आज दिनांक.....को सत्यापित।

याची

प्रपत्र संख्या-2

.....स्थित कुटुम्ब न्यायालय

याचिका संख्या.....

श्रीमती/श्री.....
पत्नी या पुत्र श्री.....
आयु.....
व्यवसाय.....
वर्तमान पता.....
स्थायी पता/निवास.....
याची/याधीगण.....

और

श्रीमती/श्री.....
पत्नी या पुत्र श्री.....
आयु.....
व्यवसाय.....
वर्तमान पता.....
स्थायी पता/निवास.....

प्रत्यर्थी

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए याचिका</u>

उपरिनामित याची सम्मानपूर्वक निम्नवत निवेदन करता है।-

1- कि याची.....और प्रत्यर्थी.....विधिक रूप से विवाहित है। उनका विवाह दिनाँक.....को ..... पर रूढियों..... के अनुसार अनुष्ठापित हुआ था। विवाह के पश्चात् याची और प्रत्यर्थी दोनों पति और पत्नी के रूप में रहे थे/रहते थे। विवाह के फलस्वरूप दम्मति को.....नामक संतान आयु.....और.....नामक एक अन्य संतान आयु..... प्राप्त हुये।

2-याची निवेदन करता है (प्रत्यर्थी के विरुद्ध याची की शिकायत का पूरा विवरण दिया जाय)

(क).....

(ख).....

3-याची के पास अपने और अपने अव्यस्क बच्चों के पालन के लिए साधन नहीं है सीमित साधन है। वर्तमान में यह अपने माता-पिता पर आश्रित है जिनके अपने स्वयं के खर्चे हैं और लम्बे समय तक प्रार्थी को सहायता देने की स्थिति में नहीं समर्थ होंगे।

4- कि याची ने स्वय के और अपने अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रत्यर्थी से दिनांक को धन देने की अपेक्षा की थी परन्तु प्रत्यर्थी से भरण-पोषण के लिए अब तक कोई भी धनराशि नहीं प्राप्त हुई है।

5-यह कि प्रत्यर्थी साधन सम्पन्न व्यक्ति है और उसकी निम्नलिखित सम्पत्ति, मासिक आय इत्यादि है-

क-

ख-

ग-

6-उपरवर्णित परिस्थितियों में याची और उसके अवयस्क बच्चों के लिए भरण-पोषण के लिए इस न्यायालय में उपस्थित होने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

7-याचिका के लम्बित रहने की अवधि में याची को, जिसके पास स्वयं और अपने अवयस्क बच्चों के पालन के लिए कोई साधन नहीं है/ सीमित साधन है. अन्तरिम भरण-पोषण दिलाया जाय।

प्रार्थना

अतएव याची प्रार्थना करता है कि याची के भरण- पोषण के लिए रुपये ..... तथा आवश्यक बच्चा/बच्चे के भरण पोषण के लिए रुपये.....भुगतान करने का प्रत्यथर्थी को निदेश देते हुए आदेश पारित करने का कष्ट करें।

स्थान:

दिनांक:

याची

प्रपत्र संख्या-3

.....स्थित कुटुम्ब न्यायालय

याचिका संख्या.....सन् 200.....

.....

याची

बनाम

.....

प्रत्यर्थी

सेवा में,

चूंकि ऊपर नामित याची ने आपके विरूद्ध जैसा याचिका में दिया गया है एक याचिका संस्थित की है (याचिका संलग्न करें)

आपसे इस सम्मन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है.

और चूँकि वाद को निदेश के लिए.....दिवस.....माह सन् 200.....को न्यायाधीश के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आपको एतद्वारा याची के दाये का उत्तर देने के लिए उक्त.....दिवस.....माह सन् 200..... को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वान्ह 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है. और सूचना दी जाती है कि पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को जो उपस्थित हो, सुनने के पश्यात न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के संबंध में और याचिका से संबंधित अन्य मामलों में निदेश दिये जायेंगे, और अग्रतर सूचना दी जाती है कि यदि पूर्व उल्लिखित दिवस को न्यायाधीश के समक्ष स्वयं हाजिर होने या ऊपर यथाअपेक्षित वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो याचिका को उसी दिन या किसी अनुवर्ती दिवस को अप्रतिवादित के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरूद्ध पारित किसी डिक्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

साक्षी..... प्रधान न्यायाधीश.....

पूर्वोक्त, आज.....दिवस.....माह, 200.....

मुहरकर्ता

पदाभिहित अधिकारी

..... दिवस..... माह, 2006

याची/याची के अधिवक्ता

पता-

प्रपत्र संख्या-4

.....स्थित कुटुम्ब न्यायालय

याचिका संख्या.....सन् 200.....संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के मामले में

और

याची श्री..... को..... अवयस्क पुरुष/स्त्री के अंतःवासी के रूप में संरक्षक की नियुक्ति के मामले में

दिनांक..... को जन्मे श्री..... अवयस्क पुरुष/स्त्री के विधिक संरक्षक के रूप में याची की नियुक्ति के लिए और उक्त अवयस्क को अपने पुत्र/पुत्री के रूप में..... की विधि के अनुसार दत्तक लेने के लिए याची..... की याचिका दिनांक..... को पढ़ने पर और सुनवाई करने के पश्चात् उक्त याचिका के समर्थन में..... पर रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 1171, सन् 1982 (लक्ष्मीकांत पाण्डेय बनाम संघ सरकार), ए आई आर 1984. उच्चतम न्यायालय पी० 469 में उच्चतम न्यायालय में दिये गये दिशा निर्देश को पालन करने के लिए सहमत होने पर और उक्त अवयस्क के विधिक संरक्षक के रूप में याची की नियुक्ति के लिए सहमत होने पर..... के शपथ-पत्र को पढ़ने पर श्री..... द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने और उक्त श्री..... के प्रतिनिधि श्री..... को सुनने के पश्चात् और याची श्री..... द्वारा जब भी अपेक्षा की जाय, इस माननीय न्यायालय में उक्त अवस्यक को प्रस्तुत करने का एतद्वारा परिवचन देने पर और अग्रतर ग्रह परिवचन देने पर कि याची उक्त अवयस्क को इस प्रकार उचित देखभाल, लालन-पालन, शिक्षा और पालन-पोषण करेगा वह उसकी संतान हो और अग्रतर यह भी परिवचन देने पर कि उक्त अवयस्क को देखभाल शिक्षा और उत्तराधिकार के मामले में अपने अकृत्रिम संतान / या दत्तक सन्तान, यदि कोई हो के साथ एक समान व्यवहार करेगा और उक्त अवयस्क को भारत से बाहर ले जाने के पूर्व याची या तो स्वयं या भारत में उसके द्वारा सम्यक् रूप से नियत अटर्नी द्वारा इस माननीय न्यायालय के पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में रूपये.....की धनराशि का बन्ध-पत्र निष्पादित करने का अग्रत्तर परिवचन देने पर कि उक्त अवयस्क को वायुयान द्वारा किसी भी कारण से ऐसा करना आवश्यक हुआ तो भारत को सप्रत्यावर्तित करेगा और उक्त अवयस्क के अपने घर वापस आने के दो वर्ष के भीतर दत्तक के रूप में.....की विधि के अनुसार स्वीकार करने और उक्त संतान की पहले दो वर्षों के लिए प्रत्येक तीन माह पर तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक छः माह पर उस संगठन, जिसके द्वारा उक्त अवयस्क के नैतिक और भौतिक प्रगति रुपये की और उक्त अवयस्क के भारत से याची के घर तक आगमन के दिनांक की सूचना सहित याची के परिवार के साथ सामंजस्य के संबंध में होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की गयी हो या सही सत्यापित की गयी हो, की प्रगति रिपोर्ट इस माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करने का अग्रतर परिवचन देने पर और उक्त रिपोटों सहित दत्तक ग्रहण आदेश की सत्यप्रतिलिपि जो उक्त को..... हो और अग्रतर अभिकरण..... जिसने याची की होम स्टडी रिपोर्ट यह सहमति होते हुए प्रस्तुत की है कि दत्तक लेने के पूर्व याची के परिवार के विच्छिन्न होने की दशा में उक्त अभिकरण अवयस्क की देखभाल करेगा और संस्था के अनुमोदन से जिसका अन्तःवासी है. उचित वैकल्पिक दत्तक ग्रहण की तलाश करेगा और ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की रिपोर्ट माननीय न्यायालय और..... को करेगा, में आदेश देता हूं कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 11 के अधीन नोटिस एतद्द्वारा.....और अभिमुक्त की जाती है और में अग्रतर

आदेश देता हूं कि याची श्री..... है और उन्हें उक्त अवयस्क जिसका जन्म दिनांक..... को हुआ है और जिसकी फोटो इस रूप में..... सम्यक् प्रमाणित और इस माननीय न्यायालय के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है. इसके साथ संलग्न की जाती है और प्रदर्श क' के रूप में चिन्हित किया गया है का बिना सुरक्षा और बिना पारिश्रमिक संरक्षक एतद्वारा नियुक्त किया जाता है और अब

उक्त..... के प्राधिकारियों की अभिरक्षा और देख-रेख में है और मैं यह भी आदेश देता हूं कि यथा पूर्वोक्त बन्ध-पत्र को निष्पादित करने के पश्चात याची.....होंगे और उन्हें इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता से उक्त अवयस्क को हटाने और उसे .....(स्थान) को ले जाने या जहाँ भी यह चाहें ले जाने की अनुमति एतदद्वारा दी जाती है और उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अवयस्क को इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता से ले जाने के लिए पासपोर्ट प्राधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकारी को आवेदन करने की अनुमति दी जाती है और मैं अन्त में यह भी आदेश देता हूं कि याची रुपये.....की धनराशि उक्त..... को याचिका के उनके व्यय के लिए भुगतान करें।

आज दिनांक..... मास..... 200.....

(जो लागू न हो हटा दिया जाय)

न्यायाधीश

याची का अधिवक्ता

प्रदर्श 'क'

पुरुष/स्त्री की प्रमाणित फोटो
अवयस्क.....
जिसका जन्म..... को हुआ था।

.....
पदाभिहित अधिकारी,
कुटुम्ब न्यायालय।

<u>प्रपत्र संख्या-5</u>

बाल अध्ययन प्रपत्र

बालक की सूचना संरक्षण में दी जाय

बालक का नाम
बालक की फोटो संस्था का नाम पता

भाग-एक

1-बालक का नाम.....
2-संस्था की सामान्य पंजी के अनुसार संदर्भ संख्या.....
3-वर्तमान आयु.....
4-लिंग.....
5-धर्म (यदि ज्ञात हो) .....
6- जन्म का दिनांक (यदि उपलब्ध हो) .....
7- जन्म का स्थान (यदि उपलब्ध हो) .....

भाग-दो

1- याचिका संख्या.....
2-याची का नाम.....
3-याधी का पूरा पता.....

भाग-तीन (विधिक विवरण)

1- सुपुर्द करने वाले न्यायालय का नाम.....
2- सुपुर्दगी के समय बालक की आयु.....
3- सुपुर्दगी के आदेश का दिनांक.....
4 सुपुर्दगी की अवधि.....
5-नियुक्ति का अन्तिम दिनांक.....
6-.....अधिनियम की धारा.....
7- आपकी संस्था में प्रवेश का दिनांक कृपया न्यायालय की सुपुर्दगी वारण्ट की प्रतिलिपि संलग्न करें।
कृपया परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न करें जिस उसने बालक की सुपुर्दगी के समय किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

भाग तीन केवल न्यायालय द्वारा सुपुर्द किये गये बालक के लिये भरा जाएगा।

भाग-चार (सामाजिक विवरण)

1- आपकी संस्था में बालक कैसे आया-

(क) सीधे प्रवेश दिया गया.....

(ख) स्थान आरक्षित था और तब सुपुर्द किया गया.....

(ग) किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित है और यदि ऐसा है तो किससे.....

(घ) अन्य कोई माध्यम.....

2-ऐसी परिस्थितियां जिनके अधीन बालक मूल संस्था में आया.....

3-संस्था में सुरक्षा मांगने का कारण.....

4-नातेदारों के सम्बन्ध में सूचना.....

5-यदि वे जीवित हैं तो क्या वे बालक को दत्तक/संरक्षण
देने के लिये सहमत हैं और यदि ऐसा है तो क्या लिखित
सहमति प्राप्त कर ली गयी है.....

6-क्या आपकी संस्था में बालक के प्रवेश के पश्चात्
नातेदारों ने उससे संबंध बनाया है.....

7-यदि बालक पूर्णतया निराश्रित है तो ऐसे तथ्य
बतायें जिससे प्रदर्शित हो कि.....

8-अन्य कोई सूचना जिसे आप बताना चाहें.....

भाग-पांच (व्यवहारों का प्रेक्षण)

1-बालक कितने समय से आपके साथ आपकी संस्था में है.....

2-अन्य अंतःवासियों के प्रति व्यवहार.....

3-नातेदारों, कर्मचारिवर्ग और अन्य व्यवस्कों से संबंध.....

4-बुद्धिमता (यदि और जहां संभव हो आई० क्यू० रिपोर्ट लगायी जाय).....

5-सामान्य व्यक्तित्व और बालक का विवरण.....

6-खेलकूद संबंधी गतिविधि और अन्य विशिष्ट प्रतिभा.....

7-बालक के बारे में प्रेक्षक की धारणा.....

8-कृपया बतायें कि पुनर्वास की माता पिता योजना
बालक की आवश्यकताओं और स्वभाव को ध्यान में
रखते हुए बालक के लिये कैसे लाभकारी होगी.....

9- यदि बालक स्कूल जाता है तो उसकी कक्षा,
उपस्थिति, पढ़ाई में सामान्य रूचि, प्रगति विवरण, यदि
कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट दें.....

10-अन्य कोई सूचना.....

भाग-छ:

स्वास्थ्य और चिकित्सा रिपोर्ट प्रपत्र संलग्न है

भाग-सात

1-क्या आपने दत्तक लेने वाले माता पिता/संरक्षक की होम स्टठी रिपोर्ट की समीक्षा की है और क्या आप अनुभव करते हैं कि इस परिवार के साथ बालक को रखा जाना उपयुक्त है.....

2-क्या दत्तक लेने वाले गाता पिता ने बालक के, जिसका ये पालन पोषण करना चाहते हैं, विवरण को देखा है और क्या उन्होंने बालक की सामान्य अवस्था, शारीरिक या मानसिक दोष इत्यादि को जानने के पश्चात् बालक के लिये सहमति दी है। यदि ऐसा है तो उस प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि दीजिए जिसमें माता पिता ने लिखित सहमति दी है कि उन्होंने बालक अध्ययन रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है और प्रस्तावित बालक को स्वीकार करते हैं.....

भाग-आठ

मैं श्री/श्रीमती..... अधीक्षक.....

एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि बालक के बारे में इस प्रपत्र में दी गयी जानकारी सही है।

मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित / प्रमाणित प्रतिलिपियां एतद्वारा संलग्न करता हूँ/ करती हूँ:-

(1) कोर्ट वारंट की प्रतिलिपि

(2) प्रेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि

(3) बालक को देने के लिये माता पिता की सहमति

(4) दत्तक लेने वाले माता पिता की बालक को स्वीकार करने की सहमति

हस्ताक्षर

स्थान: नामः

दिनांक: पदनामः

पदाभिहित अधिकारी

टिप्पणी : बालक के देश से प्रस्थान का दिनांक निदेशक बाल कल्याण और परामर्शदाता अभिकरण को निगरानी के प्रयोजन के लिये बताया जाना चाहिए।